फर्द अहकाम

गणेश बनाम रूपनारायण

लय

163/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
7/11/24	पत्रावली पेश [illegible]
18/12/24	पत्रावली पेश [illegible] सा0 साहब (सांगानेर) अन्य राज्य [illegible] है। अत पत्रावली [illegible] दिनांक 22/1/25 को पेश हो।
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी[illegible] अन्य राज्य कार्य में [illegible] है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/2/25 को पेश हो।
21/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पक्षकारों नम्बर से कार्य होकर बाद तकमील दाखिलदफ्तर हो। (सुनवाया)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

R & my Adv. Prakash Tiwari

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वि
जयपुर (सांगानेर)

ना पत्र संख्या 163/21

1. गणेश पुत्र रूपनारायण जाति बागडा ब्रह्मण निवासी– ग्रा बुहारिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. रमाकान्त पुत्र रूपनारायण जाति बागडा ब्रह्मण नि श्यामपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

बनाम

1. रूपनारायण पुत्र स्व0 भौरीलाल जाति बागडा निवा बुहारिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगाने कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर
3. [illegible] मन्दिर [illegible] ठाकुर जी वाले पुजारी [illegible] पुत्र श्री राधेश्याम सांगानेर

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधा

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र नि

1. यह कि प्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थी उक्त शीषर्कीय वाद पत्र ठोस व सुदृढ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है प्राप्ति की पूर्ण आशा है।

Tiwari